न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 58 / 2019

1. बैतिया पुत्र ईसा जाति मेव निवासी लाडमका तहसील पहाडी ।
2. हनीफ पुत्र नसरू जाति मेव निवासी माधोगढ तहसील पहाडी।
3. हसन मौहम्मद पुत्र जीमल जाति मेव निवासी माधोगढ तहसील पहाडी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कपूर पुत्र गोपाल
2. लल्लू पुत्र गोपाल
3. मानसिंह पुत्र गोपाल जातियान माली निवासी गोपालगढ तह0पहाडी
4. राम पुत्र कपूर
5. गोकुल पुत्र मानसिंह
6. गोविन्द सिंह
7. धर्मसिंह
8. चेतराम
9. बाबूलाल पुत्रगण किशन लाल
10. किशन पुत्र रामचन्द
11. शेरी पुत्र किशन
12. मोती पुत्र किशन
13. हुकम पुत्र किशन
14. लेखराज पुत्र मंगल
15. कुवंर पुत्र मोती
16. प्रेम पुत्र मोती
17. धनसिंह पुत्र हरिराम
18. पूरन पुत्र हरिराम जातियान माली निवासीयान गोपालगढ तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

अप्रार्थीगण

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी भरतपुर राज0

फौरमल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1. श्री बृजलाल शर्मा वकील प्रार्थीगण
2. श्री यशपाल वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :-06/06/2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर आ0ख0न0 126/0.06 है बांके ग्राम माधौगढ तहसील पहाडी में स्थित है। आ0मुत0 पूर्व में मुस0 हाजरा बेवा आसीना जाति मेव निवासी ग्राम जोतरी पीपल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। जिसमें 0.02 एयर जमीन प्रार्थी नं0 1 ने 0.02 एयर प्रार्थी नं0 2 तथा 0.02 एयर प्रार्थी नं0 3 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया था। जिसका दा0ख0 प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण आ0मुत0 को वहैसियत रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार उपयोग व उपनोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की आ0मुत0 गोपालगढ से सीकरी वाली सडक के सहारे स्थित है जिसके सहारे अप्रार्थीगण की खातेदारी का ख0न0 125 है आ0मुत0 के व तरफ पश्चिमी डौल से लगता हुआ है जिसकी तहसीलदार पहाडी से दिनांक 16.10.18 को मुताबिक कानून व नियम पैमाईश कराकर निशानात कायम कराये जा चुके है। अप्रार्थीगण का आ0मुत0 से कभी कोई सम्बन्ध किसी किस्म का ना तो पहले कभी रहा है और ना ही इस वक्त है। परन्तु अप्रार्थीगण सरजोर वाने बन्द झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। जिन्होने दिनांक 16.10.2018 की पैमाईश के बाद आराजी मुत0 में नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से आराजी मुत0 की दक्षिणी व पश्चिमी डौल को तोडकर अपने खसरा नं0 125 में मिलाते हुये पत्थर बजरी डालते हुए लैट्रिन, बाथरूम, पौली, व एक दुकान व झोपडी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से आ0मुत0 में पत्थर बजरी डालने व जबरदस्ती निर्माण करने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने दिनांक 03/06/2019 में से अपना सामान हटाने व आराजी मुत0 में से अपना कब्जा छोडने से साफ इन्कार कर दिया और ऐलानिया कहा कि अभी तो हमने तुम्हारी कम जमीन दावी है। हम तुम्हारी पूरी आराजी पर पक्का निर्माण कर कब्जा करके रहेगे अप्रार्थीगण आराजी मुत0 पर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा बनाये हुए है। जिससे प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी है। विधि वजह प्रार्थीगण अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुत0 के पश्चिमी दक्षिणी दिशा के रकबा में किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कराते हुए अप्रार्थीगणको आराजी मुत0 से बेदखल कराकर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से आराजी मुत0 पर कब्जा वापिस पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण का आराजी मुत0 से कोई संबन्ध नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण बिना किसी विधिक अधिकार के जबरदस्ती लठ्ठ व ताकत के बल पर आराजी मुत0 के सम्पूर्ण रकबे पर अवैध व गैरकानूनी तरीके से कब्जा करते हुए निर्माण कार्य करने की फिराक में है जिसकी बाबत अप्रार्थीगण ने दिनांक 03/06/2019 को ऐलानिया धमकी दी है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को आराजी मुत0 के संबन्ध में ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद या अन्य किसी प्रकार से न हो सकेगी। विदी वजह प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी मुत0 में किसी प्रकार की मदाखलत व मदाहमत नहीं करे। प्रार्थीगण को आराजी मुत0 से जबरदस्ती बेदखल नहीं कर निर्माण कार्य व कब्जा नहीं करें। एवं आराजी मुत0 के संबन्ध में ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक प्रार्थीगण जायल हो। प्राईमा फैसाई एवं सुविधा का सन्तुलन पूर्ण रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। अतः प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0 एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे आराजी मुत0 वर्णित मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें एवं प्रार्थीगण को बेदखल कर आराजी मुत0 में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करे निर्माण कार्य नहीं करे एवं आराजी मुत0 के संबन्ध में ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक प्रार्थीगण जायल हो।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये दिनांक 26/02/2021 को जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत निराधार झूठे मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो काबिले खारिज है। अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 125 गोपालगढ से सीकरी जाने वाले सडक के सहारे फुटपाथ छोडकर स्थित है जिसे अप्रार्थीगण के पूर्वज तथा अप्रार्थी संख्या 10 किशन द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 12/06/1989 को मिलकीयत सिंह पुत्र ईश्वरी सिंह जाति सिख निवासी माधोगढ तहसील पहाडी से खरीद किया था वक्त खरीद से ही मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया। अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 125 में मकानात, दुकान,पोली, लैट्रिन, बाथरूम, मन्दिर, वगैराह बनाकर रिहायश तथा अपने उपयोग उपभोग में काम लेते तथा दुकान पर व्यवसाय करते चले आ रहे उक्त मकानात दुकान दिनांक 16/10/2018 से पूर्व के ही बने हुये है तथा आज भी अपनी ही भूमि पर काबिज है इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 126 से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 14 लेखराज का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी भूमि के आस पास ना तो कोई आराजी है और ना ही कोई मकानात बने हुये है तथा ना ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण से किसी प्रकार का कोई संबंध है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :–प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण द्वारा आराजी पर कब्जा करने के कारण प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की आराजी पर अप्रार्थीगण के कब्जे की पुष्टि तहसीलदार पहाड़ी की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.10.2018 से पूर्णतः होती है। जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रार्थीगण की आराजी ख0 सं0 126 की सीमा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 125 में निकलती है। प्रस्तुत दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत कब्जा वापसी का है। अगर अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अवश्य ही अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन** :–प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण की खातेदारी की है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अगर अप्रार्थीगण इसमें सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को ही असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में ही निहित है।

3. **अपूरणीय क्षति** :–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11/06/2019 को ताफैसला मूल बाद कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
~~उपखण्ड~~ (भरतपुर)
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner